कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

गांव बछामदी में दुकान से मोबाइल फोनों की चोरी का पर्दाफाश दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 मोबाइल व 3 चार्जर बरामद

जयपुर 24 अप्रेल। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि 28 अगस्त 2016 को मोहनसिंह पुत्र भोजपाल जाति जाटव निवासी नगला बरेला ने थाना चिकसाना पर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी गांव बछामदी में मोबाईल की दुकान हैं। 27 अगस्त,16 को मैं दुकान बन्द कर अपने घर आ गया था। दूसरे दिन सुबह दुकान जाकर खोली तो पीछे से अज्ञात बदमाशों ने दीवाल तोडकर दुकान में रखे 42 नये मोबाईल, 3 पुराने मोबाईल, चार्जर, 700 रूपये नगद व रिचार्ज कूपनों को चोरी कर ले गये थे।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि उक्त रिपोर्ट का थाना पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और थाना चिकसाना की एक विशष टीम गठित की गई उक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना का पर्दाफास करते हुये श्यामवीर पुत्र निनुआ व लोकेन्द्र पुत्र कलुआ जातियान धीमर निवासियान बछामदी थाना चिकसाना को गिरफतार कर कब्जे से 4 मोबाइल व 3 चार्जर बरामद किये जा चुके हैं तथा शेश माल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है। जिनसे और भी कई वारदातों का खुलासा होने की सम्भावना हैं।

वाईक व नगदी छिनाने के मामले में 3 आरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

छिनाई हुई वाईक व रूपयों को किया बरामद

गांव श्रीनगर थाना सेवर निवासी छोटू पुत्र चौथीराम जाति माली ने गांव वमनपुरा थाना सेवर निवासी राजेश कुमार 3 जनों के विरूद्ध एनएच–11 डी0पी0एस0 स्कूल के पास से प्रार्थी की मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर नम्बर आरजे 05 एसएम 5162 व 4240 रूपयों को छिनाकर ले जाने का एक मामला कल 23 अप्रैल 2017 को थाना सेवर पर मुकदमा पंजीबद्व कराया था।

श्री भौलेन्द्रसिंह स0उ0नि0 ने अनुसंधान में उक्त मामले के नामजद आरोपी राजेश कुमार पुत्र दुर्गाप्राद, सोनू पुत्र बलवीरसिंह जातियान नाई निवासियान वमनपुरा थाना सेवर व नहनू पुत्र गिरधारी जाति मीणा निवासी नाम थाना नदबई को गिरफतार कर छिनाई हुई मोटरसाईकिल व रूपयों को बरामद किया गया है। तथा आरापियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

राही / सन्तरा / 326 / 2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कार से चोरी किए रुपये एंव सामान बरामद, दो बालअपचारी निरुद्ध, मोटरसाईकल , ब्रीफकेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड व 50,000 हजार रुपये बरामद

जयपुर 24 अप्रेल। जिला अलवर के थाना कोतवाली पुलिस ने 23 अप्रेल,2017 को 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये सामान ब्रीफकेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोटरसाईकल व 50,000 हजार रुपये बरामद किये गये है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। थाना कोतवाली क्षेत्र मे हो रही चोरी की वारदातो का राजफाश करने के लिए अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पारसमल जैन, पुलिस उप अधीक्षक श्री जयसिहं नथावत वृत उतर शहर अलवर के निर्देशन में थानाधिकारी मय टीम ने फोटो व विडियो शहर में विभिन्न जगह पर लगे सी सी टी वी कैमरो से प्राप्त कर विशलेषण किया गया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि गठित टीम ने दिल्ली से आपराधिक प्रवृति के लोगों की बस्ती मदनगिर पुलिस थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली से टीम ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नम्बर क्स–35–क्ड–1118 को जप्त कर घटना अंजाम देने वाले 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये सामान ब्रीफकेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड व 50,000 हजार रुपये बरामद किये गये तथा प्रकरण में शेष आरोपियों की तलाश जारी है कि 21 अप्रैल 2017 को परिवादी श्री अरविन्द लवानिया पुत्र सत्यभान सिहं जाति ब्रहामण उम्र 43 साल निवासी ए–86 हसन खाँ मेंवात नगर थाना शिवाजी पार्क अलवर ने लिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि मै आर्य नगर अलवर से एस बी आई बैक से 2.50 लाख रुपये लेकर मेरी गाडी होण्डाई वरना में रखकर मेरे ससुराल स्कीम नं. 2 अलवर पर पहुचा था। मैं गाडी घर के सामने खडी कर अन्दर गया तभी मेरे पिछे से दो लडके आये एंव गाडी का गैट व डिग्गी खोलकर 2.50 लाख रुपये चोरी कर मोटरसाईकल पर फरार हो गये।

तरीका वारदातः–व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनमें बैक, फाईन्नस कम्पनी ओफिस, बडे शोरुम, जिनमे ग्राहक चोपहिया वाहनों में अपने पैसे व सामान रखकर आते दृजाते है तब खडे वाहनों रैकी करना रेकी के बाद खडी गाडियों के शीशे व लॉंक तोडकर गाडी में रखे सुटकेश, लैपटौप व पैसों को चोरी कर ले जाना।

राही / सन्तरा / 327 / 2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।